प्रकरण संख्या 57/2021 गणेशलाल बनाम भैरूलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नाहरमगरा में वाद पत्र की परिशिष्ठ (1) में अंकित आराजी नंबर 5105/369 रकबा 179.15 बीघा एवं 4964/369 रकबा 3 बीघा कुल किता 2 रकबा 182.15 बीघा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदार भैरूलाल पिता देवीलाल खटीक सा.देह दर्ज है। इसी प्रकार मौजा कुण्डाल में आराजी नंबर 5106/1438 रकबा 185.10 बीघा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वनखण्ड नाहरमगरा के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का नाहरमगरा की रिपोर्ट अनुसार खातेदार भैरूलाल का कब्जा ग्राम नाहरमगरा की आराजी नंबर 4964/369 रकबा 3.00 बीघा पर नहीं पाया जाकर ग्राम कुण्डाल की आराजी नंबर 1438 पर पाया गया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आराजी नंबर 369 का आवंटन वर्ष 1971 में किया गया था, जो पैमाईश से पहले का होकर साबिक नंबर है। अतः पट्टा में आराजी नंबर 369 दर्ज है, परन्तु आवंटी को कब्जा सिपुर्दगी 1975 में की गयी, तब पैमाईश का नया रेकार्ड आ चुका था। तत्कालीन पटवारी द्वारा साबिक आराजी नंबर 369 से हाल नंबर 1438 में आवंटी को कब्जा सिपुर्द किया गया, परन्तु पटवारी द्वारा पट्टा का नामान्तरकरण साबिक आराजी नंबर 369 से किया गया। कब्जा सिपुर्दगी एवं आवंटन के समय मूल गांव नाहरमगरा ही था, परन्तु सन् 2000 में नाहरमगरा के बिलानाम हाल आराजी नंबर 369, 1438, 1440, 2615 आदि को वनखण्ड नाहरमगरा घोषित करते हुए वन विभाग के नाम दर्ज हो गये। सन् 2008 में मूल गांव नाहरमगरा के अलावा तीन नये गांव धुणीमाता, बजाजनगर, कुण्डाल बनाये गये। साबिक आराजी नंबर 369 से नामान्तरकरण दर्ज होने से खातेदारी भूमि नाहरमगरा में दर्ज हो गयी एवं कब्जा सिपुर्दगी हाल नंबर 1438 में होने	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:53:32 IST
Reason: SelfAttested.

कब्जा आराजी नये राजस्व ग्राम कुण्डाल में दर्ज हो गये हैं। अतः निवेदन किया कि खातेदार भैरूलाल के खाते में दर्ज आराजी नंबर 4964/369 रकबा 3.00 बीघा को ग्राम नाहरमगरा से विस्थापित कर ग्राम कुण्डाल के आराजी नंबर 5106/1438 में प्रतिस्थापित किया जावे एवं ग्राम कुण्डाल की आराजी नंबर 5106/1438 में कम होने वाला रकबा ग्राम नाहरमगरा की आराजी नंबर 5105/369 वन विभाग में जोड़ा जावे ताकि वन विभाग का मूल रकबा बराबर बना रहे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.08.2020 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में डिक्री जारी की, तत्पश्चात् दिनांक 31.08.2020 को संशोधित निर्णय व डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट को मौके पर कब्जे का अंदेशा होने पर दिनांक 17.07.2021 को निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अपीलान्ट ने दफा 96 सी.पी.सी. का आवेदन भी प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ में पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि अपीलान्ट का मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:58:32 IST
Reason: SelfAttested

पर पुराना कब्जा है, जिसकी जानकारी तहसीलदार मावली को बखूबी थी। फिर भी अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये वाद डिक्री करवा लिया, जिससे अपीलान्ट के हित प्रभावित होते हैं। अतः अपीलान्ट का धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

हमने उक्त दोनों प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर पत्रावली का अध्ययन किया। चूंकि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिए मयाद में वर्णित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जहां तक धारा 96 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपना 40 वर्षो से कब्जा होने का कथन करता है, किन्तु उन्होंने अपने 40 साल के निरन्तर कब्जे बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए उन्हें प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाता है।

गुणावगुण पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट का सन् 1983 से आराजी नंबर 1438 रकबा 5 बीघा पर कब्जा निर्बाध रूप से चला आ रहा है, जिसकी जानकारी तहसीलदार मावली को भी थी, क्योंकि तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को धारा 91 के तहत नोटिस भी भेजे गये हैं। अपीलान्ट द्वारा समय—समय पर वर्षो से किस्त भी बहैसियत काश्तकार जमा करायी जा रही है, जिसकी रसीदें अपीलान्ट के पास मौजूद हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट को मामले में पक्षकार बना उसे विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:53:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बोलते हुए (Speaking) नहीं होकर पूर्णतयाः अस्पष्ट है। परीक्षण न्यायालय ने पैरा नंबर 1 में भैरूलाल पिता देवीलाल खटीक को खातेदार माना है साथ ही पैरा 3 में उक्त भूमि श्री नारायण पिता सवाईराम हरिजन को आवंटित होना अंकित किया गया। सम्पूर्ण निर्णय में इन दोनों में आपस में क्या सम्बन्ध है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही श्री नारायण पिता सवाईराम हरिजन उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं है, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण में परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक दिनांक 18.08.2020 एवं संशोधित आदेश (डिक्री) दिनांक 31.08.2020 को अपास्त किया जाता है और प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त प्रकरण में पुनः परीक्षण कर अजसरेनो निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 16.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:53:32 IST
Reason: SelfAttested